

भाग - II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/UP/ROAD/
39827/2019

- | | | |
|---|---|--|
| 7. परियोजना/स्कीम का स्थान | - | झांसी-ललितपुर राष्ट्रीय राज्य मार्ग सं० 26, किमी० 03 से 11 तक 8 किमी० दोनो पटरी चौड़ाईकरण कार्य/फोर लाइन निर्माण कार्य |
| (i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र | - | उत्तर प्रदेश |
| (ii) जिला | - | झांसी |
| (iii) वन प्रभाग | - | झांसी वन प्रभाग, झांसी |
| (iv) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में) | - | 14.80 है० |
| (v) वन की कानूनी स्थिति | - | संरक्षित वनभूमि |
| (vi) हरियाली का घनत्व | - | 0.30 |
| (vii) प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)।
सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ०आर०एल०, एफ०आर०एल०-2 मीटर पर परिगणना और एफ०आर०एल० मीटर भी संलग्न किए जाए | - | संलग्न है |
| (viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी | - | भूक्षरण के लिए संवेदनशील नहीं है। |
| (ix) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी | - | शून्य/नहीं है |
| (x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणीयां अनुबंधित की जाए) | - | प्रस्तावित वन भूमि, वन्य जीव अभयारण्य जैव मण्डल बाघ रिजर्व हाथी कारीडोर का भाग नहीं है |
| (xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा दे । | - | नहीं है |
| (xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में | - | नहीं है |

स्थित है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।

8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, जो जांचे गये विकल्पी के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है - प्रस्तावित संरक्षित वनभूमि अपरिहार्य एवं न्यूनतम है
9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है हाँ/नहीं यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं। - हाँ, विवरण संलग्न है।
10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा - संलग्न है
 - (i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अधिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवकर्मित वनक्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों का आकार - प्रतिपूरक वृक्षारोपण 29.60 है० दुगने अवनत वनभूमि पर किया जा रहा है भूखण्ड की सं०-1
 - (ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अधिनिर्धारित वनेतर/अवकर्मित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप - संलग्न है
 - (iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयक एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि - शीशम, नीम, सिरस, सागौन आदि प्रजातियाँ गडढा में रोपित की जायेगी
 - (iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय - 6763343.00 रु० (सड़सठ लाख तिरसठ हजार तीन सौ तैतालीस रु० मात्र)
 - (v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अधिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण के सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए। - संलग्न है
11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूँछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए संलग्न करें। - संलग्न है
12. विभाग/जिला प्रोफाईल

- (i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र - 5054 वर्ग किमी०
- (ii) जिले का वन क्षेत्र - 33422.920 है०
- (iii) मामलों की सं० सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र - 13 (तेरह) क्षेत्रफल-188.23732 है०
- (iv) 1980 से जिला/प्रभागों में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि - 98.099 है०
- (ख) वनेतर भूमि पर -
- (v) प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति
- (क) वन भूमि पर - 94.03 है०
- (ख) वनेतर भूमि पर - 734.209 है०
- 13 प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने हेतु संस्तुति की जाती है

तिथि -

स्थान - झाँसी

हस्ताक्षर :

नाम : डॉ० मनोज कुमार शुक्ला
(डॉ० मनोज कुमार शुक्ला)

सरकारी मोहर: प्रभागीय वनाधिकारी
झाँसी वन प्रभाग, झाँसी